



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062022-236450  
CG-DL-E-10062022-236450

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2522]  
No. 2522]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISHTHA 19, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

का.आ. 2649(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित पद धारी व्यक्ति को उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की नार्थ - ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के लिए उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत करती है:-

तालिका

| व्यक्ति का पदनाम                                                            | क्षेत्राधिकार                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                         | (2)                                                                |
| 1. अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), जलपाईगुडी जिला, पश्चिम बंगाल सरकार। | पश्चिम बंगाल राज्य में जलपाईगुडी जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। |

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/151/2021-जीपी-II (ई-40253)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2022

**S.O. 2649(E).**—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes the person holding the post mentioned in column (1) of the Table given below to perform the functions of Competent Authority under the said Act for North – East Natural Gas Pipeline Grid Project of M/s Indradhanush Gas Grid Limited in respect of the area mentioned in Column (2) of the said Table:-

**TABLE**

| Designation of Person                                                                                | Area of Jurisdiction                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                  | (2)                                                           |
| 1. Additional District Magistrate (Land Acquisition), Jalpaiguri District, Government of West Bengal | Areas falling under Jalpaiguri District, State of West Bengal |

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/151/2021-GP-II (E-40253)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.